आपराधिक क़ानून संशोधन अधिनियम 2013

कुछ प्रमुख अंश

परिचयः पिछले कई वर्षों से आपराधिक क़ानून में सुधार लाने की बात की जा रही है। 16 दिसम्बर 2012 के हादसे ने इस मांग को और अधिक मुखर कर दिया जिसके फलस्वरूप वर्मा आयोग के सुझावों को मद्देनज़र रखते हुए संसद ने 4 अप्रैल 2013 में इस क़ानून में संशोधन को मंजूरी देते हुए इसे लागू करने का आदेश जारी किया। इस सुधार अधिनियम ने आपराधिक क़ानून की प्रमुख धाराओं में बदलाव किए जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।

भारतीय दंड संहिता में विशेष संशोधन

एस. 326ए—तेजाबी हमला/क्षयकारी पदार्थ से हमला

तेजाब या अन्य क्षयकारी पदार्थ फैंककर चोट, नुकसान या विकृत करने के इरादे से किये गये हमले में दोषी को दस साल की सज़ा अथवा जुर्माना सहित उम्र कैद की सज़ा दी जा सकती है। जुर्माने की रकम पीड़ित को पहुंचे नुकसान की भरपाई/चिकित्सीय सेवाओं के अनुकूल तय की जाएगी।

एस. 326बी—तेजाबी हमले का प्रयास

तेजाब या अन्य क्षयकारी पदार्थ से हमले की कोशिश के लिए कम से कम पांच और अधिक से अधिक सात वर्ष की कठोर सज़ा का प्रावधान।

एस. 354ए—यौन उत्पीड़न

निम्न में से किसी भी कार्रवाई को यौन उत्पीड़न समझा जाएगाः

– अनचाहा शारीरिक स्पर्श
– यौन प्रस्ताव/मांग
– अश्लील साहित्य/फोटो/पोर्नोग्राफ़िक सामग्री दिखाना
– यौन अर्थ वाले जुमले, संकेत, लतीफ़े

इन सभी अपराधों के लिए एक वर्ष की कैद का प्रावधान किया गया है।

एस. 354बी—निर्वस्त्र करने का प्रयास

किसी भी महिला को ज़बरदस्ती कपड़े उतारने या निर्वस्त्र होने को बाध्य करने के जुर्म की सज़ा एक से तीन वर्ष, जुर्माना सहित दी जा सकती है। इस सज़ा को मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात वर्ष, जुर्माना सहित बढ़ाया जा सकता है।

एस. 354सी—दर्शनरति (व्वायरिज़्म)

'निजी' गतिविधि करती हुए महिला को उसकी जानकारी के बगैर की घर, सार्वजनिक शौचालय, एकांत जगहों पर देखने या कैमरे में फोटो खींचने पर, जहां उसे देखे जाने की उम्मीद न हो, के लिए जुर्माना सहित एक से तीन वर्ष सज़ा का प्रावधान है। अपराध साबित हो जाने पर सज़ा को सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इस तरह की निजी गतिविधि के फोटो या चित्रों का वितरण भी अपराध की श्रेणी में आएगा।

एस. 354डी—स्टॉकिंग

किसी महिला का जबरन पीछा करना या उसे परेशान करने की कोशिश, खुलेआप, छिपकर या उसके फ़ोन, इंटरनेट, ईमेल या अन्य संचार उपकरणों की ताका–झांकी को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। जुर्म की रोकथाम

या क़ानूनी कार्रवाई अथवा किसी जायज कारण का उल्लेख किये बगैर इस तरह की कोई भी गतिविधि अपराध मानी जायगी जिसके लिए 3 से 5 वर्ष तक सज़ा या कैद, जुर्माना सहित दिये जाने का प्रावधान है।

एस. 376डी — बलात्कार

बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए इसमें निम्न भी जोड़े गये हैं। अगर कोई पुरुष

- महिला के मुंह, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग में कोई वस्तु या शरीर का अंग डालता है या उसकी इजाज़त के बिना ज़बरदस्ती उसे अपने या किसी अन्य के साथ ऐसा करने को मजबूर करता है;
- अपना मुंह उसके मुंह, योनी, गुदा, मूत्रमार्ग पर लगाता है या किसी अन्य के साथ लगाने को बाध्य करता है; या
- उसके शरीर में कुछ जबरन घुसेड़ने या किसी अन्य के साथ ऐसी कोई हरकत करने या करवाने को बाध्य करता है; या
- अगर महिला की उम्र 18 वर्ष से कम हो; या
- अगर उसकी मर्ज़ी/सहमति "अस्पष्ट" हो तो इसे बलात्कार माना जाएगा।

कई परिस्थितियों में सहमति "अस्पष्ट" हो सकती है उदाहरण के लिए – नशे की हालत में, बेहोशी, दवा के असर या कोमा की हालत में, धमकी या डर की हालत में, या अगर महिला यह नहीं समझ पाती कि वह किस बात की सहमति दे रही है (भाषा न आने पर, मानसिक कमज़ोरी, विकलांगता, अक्षमता या पागलपन में)।

इस श्रेणी के अपराध की सज़ा जुर्माने के साथ 7 वर्ष से लेकर उम्रकैद तक हो सकती है। इस अपराध में शारीरिक विरोध की कमी या अभाव को सहमति नहीं समझा जा सकता। 'पेनिट्रेशन' किस हद तक किया गया इस बात का अपराध से कोई संबंध नहीं होगा, छोटे से छोटा या कम से कम 'पेनिट्रेशन' अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।

एस. 376(2) — संगीन बलात्कार

अभी तक संगीन बलात्कार की श्रेणी में हिरासत में बलात्कार, पुलिसकर्मी, सेनाकर्मी, संस्थानों के आधिकारिक पदाधिकारी, वर्दीधारी पुरुष द्वारा बलात्कार शामिल किये जाते थे। अब इसमें ऐसे बलात्कार मामलों को भी शामिल किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप महिला मानसिक अक्षमता या शारीरिक विकलांगता का सामना कर रही हो। संशोधन के बाद निम्न परिस्थितियों में कम से कम सात वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है।

- सहमति देने में असमर्थ महिला के साथ बलात्कार;
- आधिकारिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा बलात्कार;
- एक ही महिला के साथ बार–बार बलात्कार;
- बलात्कार जिसके परिणाम स्वरूप महिला शारीरिक रूप से विकलांग या मानसिक तौर पर असक्षम हो गई हो उसको गंभीर चोटें आई हों;
- गर्भवती महिला के साथ बलात्कार;
- सोलह वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार;
- साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान बलात्कार।

एस. 376ए— मृत्यु या निष्क्रिय अवस्था में पहुंचाने के अपराध की सज़ा

इस खण्ड के अनुसार पीड़ित की मृत्यु हो जाने पर या उसे हमेशा के लिए निष्क्रिय अवस्था में पहुंचाने के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड का प्रावधान किया गया है।

एस. 376सी— हिरासत में बलात्कार

अधिकारिक पद का दुरुपयोग कर महिला को यौन संबंध के लिए मजबूर करने, (जो ऐसे दर्शाया जाए जैसे सहमति के साथ बनाया रिश्ता हो) पर कम से कम पाच और अधिकतम दस वर्ष की सज़ा दी जा सकती है।

एस. 376डी— सामूहिक बलात्कार

सामूहिक बलात्कार की सज़ा दस साल से बढ़ाकर बीस वर्ष कर दी गई है।

एस. 376ई—आदतन अपराधी की सज़ा

सामूहिक बलात्कार की सज़ा काट चुके व्यक्ति को दोबारा अपराध करने पर उम्र कैद या मृत्युदण्ड की सज़ा का प्रावधान किया गया है।

अपराध प्रक्रिया संहिता में सशोधन

एस. 54—आरोपी की शिनाख्त

अगर आरोपी की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम या विकलांग है तो यह प्रक्रिया– न्यायिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में की जाएगी अथवा वीडियोग्राफी के ज़रिए की जाएगी।

एस. 154— बयान दर्ज करने की प्रक्रिया

पीड़ित महिला का बयान धारा एस 376/354/509 या इससे जुड़ी धाराओं के तहत महिला पुलिस अफसर अथवा महिला अधिकारी द्वारा दर्ज किया जायेगा।

अगर पीड़िता अस्थाई या स्थाई तौर पर मानसिक रूप से विकलांग है तो बयान–

- वीडियोग्राफ़ी के ज़रिए;
- पीड़ित महिला के आराम का ध्यान रखते हुए;
- एक विशिष्ट दुभाषिये या अनुवादक की मौजूदगी में दर्ज किया जाएगा।

एस. 309— सुनवाई

चार्जशीट दाखिल होने के दो माह के भीतर जहां तक संभव वो मामले की सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए।

एस. 357बी— पीड़ित को मुआवज़ा

धारा एस 357 ए के अंतर्गत राज्य द्वारा दिये जाने वाले मुआवज़े के अतिरिक्त आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ए 376 डी के तहत मुआवज़े की रकम अदा की जाएगी।

एस. 357सी—पीड़ित का इलाज/चिकित्सीय जांच

धारा 326 ए/376 के तहत दर्ज अपराधों के पीड़ितों को सरकारी व निजी सभी अस्पताल मुफ्त चिकित्सीय जांच/इलाज की सुविधा प्रदान करेंगे तथा किसी भी ऐसी वारदात की पुलिस को इत्तला करेंगे।

साभारः फ्लेविया एग्निस, मजलिस मुंबई